

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.)/अवकाश/2515/2022


दिनांक 26.08.2022

श्री राजेश चन्द्र गुप्ता (RJ0268) न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय कम-02, अलवर को दिनांक 18.07.2022 से 30.07.2022 तक 13 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 31.07.2022 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री गुप्ता की अनुपस्थिति में न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय कम-01, अलवर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय कम-02, अलवर के पद पर ही की गई।

आज्ञा से



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/90/1996/5755

दिनांक 26.08.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय कम-02, अलवर को उनके पत्रांक 266 दिनांक 01.08.2022 के सन्दर्भ में।
3. श्री राजेश चन्द्र गुप्ता (RJ0268) न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय कम-02, अलवर।
4. न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय कम-01, अलवर।


25.8.2022
सहायक रजिस्ट्रार